



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022022-233068
CG-DL-E-02022022-233068

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2022/माघ 12, 1943

No. 397]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2022/ MAGHA 12, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2022

का.आ. 412(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 22 अक्टूबर 2021 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 4399(अ), तारीख 20 अक्टूबर 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम बर्धमान जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, रख-रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, "बर्तमान" और "द स्टेट्समैन" में तारीख 2 नवंबर, 2021 को प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया, तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और आगे यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम बर्धमान जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला: पश्चिम बर्धमान

क्रम संख्या	थाना का नाम	मौजा का नाम अधिकारिता सूची संख्या सहित	प्लॉट संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अर्जित क्षेत्रफल		मालिक का नाम/ हितबद्ध व्यक्ति का नाम
						एकड़ में	हेक्टर में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	आसानसोल	बड़ाधेमो— 05	168	निजी	बाइद	1.000	0.4047	बासुदेब मंडल पिता— कालीपद, बिंश्वनाथ मंडल पिता— कालीपद, मंजुरा मंडल पति— नलीन चंद्र, रबीन्द्रनाथ मंडल पिता— कालीपद, सेतु बाला मंडल पति— श्यामापद, सुष्ठु बाला दासी मंडल पति— बलराम, सुशीला मंडल पति— कालीपद।
2	कुलटि	डेडी — 20	178/376	निजी	कानाली	0.090	0.0364	अक्षय चक्रबोर्ती पिता— सतीश, चंडी चरण चक्रबोर्ती पिता— धरणी, भूतनाथ चक्रबोर्ती पिता— सतीश, शशधर चक्रबोर्ती पिता— सतीश।

[फा. सं. 2022/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2273]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भूएवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2022

S.O. 412(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 4399 (E), dated the 20th October, 2021, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd October, 2021 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Paschim Bardhaman in the State of West Bengal;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely, “Bartaman” and “The Statesman” dated the 2nd November, 2021 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same have been considered and accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Paschim Bardhaman in the State of West Bengal.

DISTRICT: PASCHIM BARDHAMAN

SL. NO.	POLICE STATION	MOUZA WITH J.L. NO.	PLOT NO.	TYPE OF LAND	NATURE OF LAND	ACQUIRED AREA		NAME OF THE LAND OWNER/ INTERESTED PERSON
						ACRE	HECTARE	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	ASANSOL	BARADHEMO-05	168	PRIVATE	BAID	1.000	0.40470	Basudeb Mondal Son of Kalipada, Biswanath Mondal Son of Kalipada, Manjura Mondal Wife of Nalin Chandra, Rabindranath Mondal Son of Kalipada, Satu Bala Mondal Wife of Shymapada, Sustha Bala Dasi Mondal Wife of Balaram, Sushila Mondal Wife of Kalipada.
2	KULTI	DEDI-20	178/376	PRIVATE	KANALI	0.090	0.03640	Akshay Chakraborty Son of Satish, Chandi Charan Chakraborty Son of Dharani, Bhutnath Chakraborty Son of Satish, Shashadhar Chakraborty Son of Satish.

[F. No. 2022/LML-II/12/2/EC/2273]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)